संख्याः 357/69-1-98-77 (बजट)/97

प्रेषक,

श्री टीकम सिंह पंवार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र., लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 05 मार्च, 1998

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषयः राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय "राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम" के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के अनुदान के रूप में रुपये 23,40,05,000 (रुपये तेईस करोड़ चालीस लाख एवं पांच हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रुपये में)

	सामान्य मद	एस.सी.पी.	योग
राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम।	2102.68	237.37	23.40.05
योग–	**2102.68**	**237.37**	**2340.05**

2– योजनान्तर्गत उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

(1) यह कि उक्त धनराशि नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

(2) उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से 31 मार्च, 1998 तक अवश्य कर लिया जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक/सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा और यथास्थिति मार्ग निर्देशानुसार संबंधित जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से स्थानीय निकायों को आवंटित की जायेगी।

(4) 'प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष, महालेखाकार (लेखा), उ.प्र., इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम,बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(5) इस धनराशि का उपयोग शासनादेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य कर लिया जाय और उसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगिता/दुरुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, एक मुश्त शासन को वापस करनी होगी।

(6) सचिव, सूडा, उ.प्र., लखनऊ आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से आवश्य कर लेंगे।

3– उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगाः–

"2217-शहरी विकास-80-सामान्य
191-स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों नगर सुधार, बोर्डों आदि को सहायता

0112-राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम की योजना

20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता – रु. 21,02,68,000

0113-'अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम हेतु राज्य नागर विकास अभिकरण को अनुदान

20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता – रु. 2,37,37,000
योग – **रु. 23,40,05,00**

(रुपये तेईस करोड़ चालीस लाख एवं पांच हजार मात्र)

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-6 304/दस-97, दिनांक 27 फरवरी, 1998 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
अनु सचिव।

संख्याः **357–(1)/69-1-98-77** (बजट)/**97**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक (ई एण्ड पी.ए.), भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू पार्क, इलाहाबाद।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, नियोजन अनुभाग–1/2, 4
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, सूडा
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अनु सचिव।